न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 92/2016

उनवान प्रकरण

1–लक्ष्मीधर आयु करीव 74 साल पुत्र श्री मनोहर । जातिगण त्यागी निवासीगण ग्राम
2–खुशीराम आयु करीव 64 साल पुत्र श्री पीतमसिंह । रतन का पुरा तह0सैपऊ जिला
धौलपुर

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–भूरीसिंह पुत्र गोकुल जाति जाटव निवासी ग्राम रतन का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर **(मृत दौराने वाद)**
2/1– मु0 रीना वेवा भूरीसिंह । जाति जाटव
2/2–रामवरन । पुत्रगण । निवासी ग्राम रतन का पुरा
2/3–सुमित । भूरीसिंह । तहसील सैपऊ
2/4–कु0 निशा पुत्री भूरीसिंह । जिला धौलपुर
2/5–श्रीमती रामकुमारी पत्नि रूपेश जाति जाटव निवासी मौहल्ला गडडा वाली वस्ती कस्वा राजाखेडा जिला धौलपुर
3–राजेन्द्र । पिसरान थलुआ
4–श्रीकृष्ण । जाति जाटव निवासी ग्राम बुधुआ का नगला गढी सुक्खा तहसील सैपऊ
5–छिंगा । जिला धौलपुर
6–रामकटोरी पुत्री गोकुल पत्नि गनपति जाति जाटव निवासी ग्राम रतन का पुरा हाल आवाद ग्राम बुधुआ का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–किशनप्यारी पुत्री गोकुल पत्नि टैनी । जाति जाटव निवासी ग्राम शेखपुर
8–रामरती पुत्री गोकुल पत्नि मातादीन । मजरा लालपुर तहसील राजाखेडा
9–मु0शीला वेवा रामदास । जाति जाटव
10–सूरजमुखी । पुत्रीयां ।
11–राजावेटी । रामदास । निवासीगण ग्राम रतन का पुरा
12–रामबावू । पुत्रगण ।
13–आकाश । रामदास । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
14–मु0 गंगादेई वेवा उमाचरन । समस्त जातिगण त्यागी
15–महेन्द्रसिंह पुत्र उमाचरन ।
16–गीताराम । पिसरान । निवासीगण ग्राम रतन का पुरा तहसील सैपऊ
17–भूदेवी । । जिला धौलपुर
18–मुन्नी । उमाचरन ।

...........................अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अाधीन धारा 144 जा0दी0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः लक्ष्मीधर बनाम सरकार व अन्य
प्रार्थना पत्र संख्या 92/2016

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से :– श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट
अप्रार्थी नं. 1की ओर सेः– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी न. 3 लगा06 की ओर से श्री जयसिंह परमार एडवोकेट
अप्रार्थी न.14 लगा0 18 की ओर सेः–श्री हरीसिंह बधेला एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 08.06.2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इनत तथ्यों के साथ पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या–1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा013 के पूर्व पुरूष गोकुल ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 14 लगा018 के पूर्व पुरूष उमाचरन के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र आधीन धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के आधीन आराजी खसरा नम्बर 281/3 रकवा 15 विस्वा, 281/2 रकवा 05 विस्वा, 295/3 रकवा 15 विस्वा के आवंटन निरस्त कराने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर में उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मीधर प्रकरण सख्या 39/80 प्रस्तुत किया जो दिनांक 4.9.1989 को एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटित भूमि को सरकारी भूमि धोषित करने के आदेश पारित किये गये तथा इस आदेश की पालना में विवादित आवंटित कृषि भूमि को नामान्तकरण संख्या 239 ग्राम रतनपुरा के माध्यम से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 4.9.1989 की अपील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 14 लगा0 18 के पूर्व पुरूष उमाचरण ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में उनवानी लक्ष्मीधर बनाम सरकार अपील संख्या 22/91 प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 9.2.2001 को आशिंक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण लक्ष्मीधर व खुशीलाल का आवंटन वहाल रखा गया तथा प्रार्थीगण के विरूद्व किया गया निर्णय दिनांक 4.9.1989 को निरस्त कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार सैपऊ ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.2.2001 की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लक्ष्मीधर अपील संख्या 295/2001 प्रस्तुत की जो दिनांक 20.4.2015 को निरस्त की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.4.2015 के विरूद्व अप्रार्थीगण द्वारा कोई अपील निगरानी रिट आदि अग्रिम उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार से न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय दिनांक 9.2.2001 बहाल रहा है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 4.9.1989 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 281/3, 295/3 स्थित ग्राम रतनपुरा तहसील सैपऊ पर नामान्तकरण संख्या 239 ग्राम पंचायत रतपुरा के माध्यम से आराजी को सिवायचक दर्ज किया है को नामान्तकरण संख्या 239 तस्दीक करने से पूर्व की स्थिति का प्रत्यास्थापन (रैस्टोर) किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 लगा0 2/5, एवं 7 लगायत 13 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नही आये। अतः उनके विरुद्व दिनांक 01.02.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगा06 की ओर से श्री जयसिंह परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया लेकिन उक्त अप्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया और न ही उन्होने बहस प्रार्थना पत्र में भाग लिया। अप्रार्थी संख्या 14 लगा0 18 की ओर से श्री हरीसिंह बधेला एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय श्रीमान आरएए भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील संख्या 22/91 उनवानी लक्ष्मीधर बनाम सरकार के विचाराधीन रहते हुये ही उत्तरदातागण के पिता उमाचरन का देहान्त हो चुका था एवं प्रार्थीगण ने उमाचरन के वारिसान को अभिलेख पर लिए बिना एकपक्षीय रूप से चुपचाप बिना उत्तरदातागण को सूचना दिए एवं पक्षकार प्रकरण बनाये बिना दिनांक 9.2.2001 को निर्णय किया गया जो उत्तरदातागण के विरूद्व शून्य एवं निष्प्रभावी है। उत्तरदातागण के पूर्व पुरूष स्व0 उमाचरन के बिरूद्व ख0न0 281/3, 281/2, 295/3 की गई कार्यवाही धारा 14(4) की कार्यवाही निरस्तनीय है।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार साहव एवं अप्रार्थी संख्या 2लगा013 के पिता गोकुलसिंह ने प्रार्थना पत्र धारा 14(4) भूआवंटन नियम के नीचे न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया। सरकार बनाम लक्ष्मीधर प्र0सं0 39/80 जो दिनांक 4.9.1989 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया तथा नामान्तकरण संख्या 239 से विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करदी गई। प्रार्थीगण ने आदेश दिनांक 4.9.1989 के विरूद्व अपील न्यायालय आर ए ए भरतपुर के समक्ष लक्ष्मीधर बनाम सरकार अपील संख्या 22/91 जो आंशिक स्वीकार कर प्राथीगण का आवंटन बहाल किया गया। तहसीलदार सैपऊ ने आर ए ए के आदेश दिनांक 9.2.2001 के विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में सरकार बनाम लक्ष्मीधर अपील संख्या 2955/2001 प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.4.2015 को निरस्त की जाकर न्यायालय आर ए ए का आदेश वहाल रखा जिसमें आवंटन वहाल किया था अप्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.4.2015 के विरूद्व कोई अपील रिवीजन उच्च

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय में दायर नहीं किया है। इस प्रकार न्यायालय आर ए ए का आदेश प्रभावी रहा है। धारा 144 सीपीसी के नीचे नामान्तकरण संख्या 239 ग्राम रतनपुर तहसील सैपऊ के जरिये विवादित आराजी सिवायचक दर्ज की है को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 239 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में कायम किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। धारा 144 सीपीसी के प्रावधान आज्ञापक है जिसकी पालना में राजस्व अभिलेख की मूल अवस्था में वहाल किया जाना न्यायोचित है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में 2015(2) आर आर टी पेज 112, 2012(2) आर आर टी पेज 830, 963, 1233 की नजीरें पेश कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 14 लग018 ने प्रार्थीगण की बहस का कोई जबाव नहीं दिया उन्होने जबाव प्रार्थना पत्र को ही अपनी बहस बताया

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार एवं अप्रार्थी संख्या 2लगा013 के पिता गोकुलसिंह ने प्रार्थना पत्र धारा 14(4) भूआवंटन नियम, न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर में प्रस्तुत किया। सरकार बनाम लक्ष्मीधर प्र0सं0 39/80 जो दिनांक 4.9.1989 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया तथा नामान्तकरण संख्या 239 से विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करदी गई। प्रार्थीगण ने आदेश दिनांक 4.9.1989 के विरूद्व अपील न्यायालय आर ए ए भरतपुर के समक्ष लक्ष्मीधर बनाम सरकार अपील संख्या 22/91 जो आंशिक स्वीकार कर प्राथीगण का आवंटन बहाल किया गया। तहसीलदार सैपऊ ने आर ए ए के आदेश दिनांक 9.2.2001 के विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में सरकार बनाम लक्ष्मीधर अपील संख्या 2955/2001 प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.4.2015 को निरस्त की जाकर न्यायालय आर ए ए का आदेश वहाल रखा। अप्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.4.2015 के विरूद्व कोई अपील रिवीजन उच्च न्यायालय में दायर की हो ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार न्यायालय आर ए ए का आदेश प्रभावी रहा है। नामान्तकरण संख्या 239 ग्राम रतनपुर तहसील सैपऊ के जरिये विवादित आराजी सिवायचक दर्ज की है को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 239 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में कायम किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। धारा 144 सीपीसी के प्रावधान आज्ञापक है जिसकी पालना में राजस्व अभिलेख की मूल अवस्था में वहाल किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये जाते है कि श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 4.9.1989 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 281/3, 295/3 स्थित ग्राम रतनपुरा तहसील सैपऊ पर नामान्तकरण संख्या 239

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

ग्राम पंचायत रतनपुरा तहसील सैपऊ के माध्यम से आराजी को सिवायचक दर्ज किया है, को नामान्तकरण संख्या 239 तस्दीक करने से पूर्व की स्थिति का प्रत्यास्थापन (रैस्टोर) किये जाने से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.4.2015 की सक्षम स्तर पर अपील/नोअपील बावत अनुमोदन लेना सुनिश्चित करें। इसकी नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर